

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या- 0145-2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-एफ14()एफसीए/उवसं/2020-21/ 2585

दिनांक :- 29.4.21

निमित्त,

Mr. Trilochan Kumawat

Assistant Engineer

Phool Mahal Road Kishangarh

District Ajmer

विषय:- Sewage project Kishangarh under Amrut Yojna in Ajmer District, Rajasthan
FP/RJ/PIPELINE/42970/2019

संदर्भ:- श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 2294 दिनांक 20.04.2021 के द्वारा लगाये
गये आक्षेप के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में विन्दु संख्या 1 के क्रम में Map showing zoom view of proposed sewerage pipe line attached with Part-1 is confusing with regard to scale written on the map. it needs to be corrected आक्षेप की पूर्ति आपके स्तर से कराते हुए संबंधित संशोधित मानचित्र चार प्रति में मय हस्ताक्षर एवं सील के इस कार्यालय में हार्ड कॉपी में जमा कराते हुए उक्त मानचित्र को आपके भाग प्रथम में ऑनलाईन भी किया जाना सुनिश्चित करे।
आक्षेप की पूर्ति कर कार्यालय में प्रकरण जमा कराने पर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

भषदीय,

उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक:-एफ14()एफसीए/उवसं/2020-21/

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 मुख्य वन संरक्षक, अजमेर को उनके पत्रांक 2294 दिनांक 20.04.2021 के क्रम में।
- 2 क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में वन भूमि प्रत्यावर्तन की एवज में प्रस्तावित वनखण्ड सामरिया हरड़ा ग्राम सावंतसर में 0.50 हैक्टर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वास्तविक व्यय के आधार प्राक्कलन (10 वर्षों के रखरखाव सहित) चार प्रति में तैयार कर तीन दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

उप वन संरक्षक
अजमेर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक:- एफ 11(87अ)एफसीए/मुवस/2021/2294
निमित्त,

दिनांक:-20.04.2021

उप वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय:- Diversion of 0.1025 ha. Forest land for proposed sewerage project Kishangarh under amrit yojana, District Ajmer, Rajasthan Forest diversion proposed under Forest (Conservation) Act 1980. Proposal no.- FP/RJ/PIPELINE/42970/2019

संदर्भ:- आपका कार्यालय का पत्रांक 1954 दिनांक 23.03.2021

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त प्रकरण में निम्न

FCA आक्षेप की पूर्ति कर प्रकरण पुनः इस कार्यालय को भिजवायें:-

1. Map showing zoom view of proposed sewerage pipe line attached with Part-I is confusing with regard to scale written on the map. It needs to be corrected.
2. CA scheme for 0.5 ha. land identified for CA is submitted as per DFL model prepared for 50 ha. which is not practical. CA scheme should be Site specific and actual to develop the site. For small areas model of "vriksh kunj" is very successful in the department which can be used for CA scheme also.

संलग्न : उपरोक्तानुसार तीन फाईल सेट मूल।

भवदीय


(महेश चन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।